

<p>Department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix; and</p> <p>(b) having five years' experience in a Group A post, including two years' experience in matter relating to indirect taxation.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of application.</p>		
--	--	--

[F. No. A/50050/280/2016-Ad.I]

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 289.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2007 को जहां तक उसका संबंध संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) के पद पर भर्ती की प्रवृत्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) (समूह 'क') भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद- की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और वेतन मैट्रिक्स वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त आयुक्त (पशुपालन)	05* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स(123100 215,900/-रुपए) में स्तर 13	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800-209200 रु.) की ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले उपायुक्त (पशुपालन)

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अर्ध सरकारी या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों या

परिषदों के ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 (78,800-2,09,200) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, या

(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

आवश्यक

- (i) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री।
(ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्/राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकरण
(iii) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभागों या कानूनी या स्वशासी संस्थानों या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संबंधित संगठनों से गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ्य या मांस उत्पादों में दस वर्षों का अनुभव हो।

वांछनीय

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या समतुल्य से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के किसी भी क्षेत्र में स्रोतकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है। की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है। की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है। द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर नियुक्त करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	
2. पशुपालन आयुक्त	-सदस्य
3. संयुक्त सचिव (पशुपालन)	- सदस्य

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशासन-1]

धर्म प्रकाश, अवर सचिव